न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 08 वर्ष 2025–26

आवेदक– उमा देवी		क्रेता– प्रमोद कुमार भण्डारी	
ग्राम– होसिर		ग्राम– साड़म मडई टोला	
थाना– गोमिया	जिला–बोकारो	थाना– गोमिया	जिला– बोकारो

आदेश की क्र0सं0 तारीख 01	आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख 03
13/5/25		

आदेश

यह वाद **आवेदक–उमा देवी पति–स्व0 बिष्णु राम वर्तमान निवास ग्राम+पो0–होसिर, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो** के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नाकिंत जमीन, विवरणी निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	भूमि दर्जा
होसिर	**123**	**173**	**5209**	**09 डी0**	**09 डी0**	**रैयती, टाँड़ दो, वर्त्तमान स्वरूप परती (आवासीय योग्य)**

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 7,30,000/–(सात लाख तीस हजार) रूपये में **क्रेता–प्रमोद कुमार भण्डारी पिता–स्व0 मुनीलाल भण्डारी वर्तमान निवास ग्राम–साड़म (मडई टोला), पो0–साड़म, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो** के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक 842/रा0, दिनांक 22.04.2025 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गईं।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्व कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक–888, दिनांक–03.05.2025 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. बिक्रेता एंव क्रेता दोनों चंद्रवंशी–कहार जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ी जाति के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में रामदयाल कहार के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–47, भौलुम सं0–4 पर रामदयाल कहार वगै0 के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वित्तीय वर्ष 1975–76 से वर्ष 2023–24 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार सर्वे खतियान हैं।
03. खतियानी रैयत से बिक्रेता का संबंध दादा–ससुर का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिक्रेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में रामदयाल कहार के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–47, भौलुम सं0–4 पर रामदयाल कहार वगै0 के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वित्तीय वर्ष 1975–76 से वर्ष 2023–24 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन कोई विवाद नहीं हैं,

तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैः–

01. बिक्रेता–खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एंव अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एंव क्रेता दोनों चंद्रवंशी–कहार जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ी जाति के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एंव क्रेता दोनों एंक ही जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियानी घरेलु बँटवारा के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः **आवेदक–उमा देवी पति–स्व0 बिष्णु राम वर्तमान निवास ग्राम+पो0–होसिर, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो** को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उ0 सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
होसिर 123	**173**	**5209**	**09 डी0**	**09 डी0**	**पी0सी0सी0 रास्ता**	**सुरेश यादव**	**चम्पा देवी**	**सुभाष राम**
			कुल	09 डी0 (नौ डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 7,30,000/–(सात लाख तीस हजार) रूपये रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम् भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से **क्रेता–प्रमोद कुमार भण्डारी पिता–स्व0 मुनीलाल भण्डारी वर्तमान निवास ग्राम–साड़म (मडई टोला), पो0–साड़म, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो** के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by Mukesh Machhuwa
Date: 2025.10.10 12:58:37 +05:30
Location: 10.93.6.142